रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112025-267393 CG-DL-E-05112025-267393

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4868]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 4868]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5023(अ).— जबिक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उप-धारा (1) के साथ पिठत उप-धारा (3) के अंतर्गत, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (पूर्वी पंजाब अधिनियम 1947 का 7) के अंतर्गत गठित पंजाब विश्वविद्यालय, दिनांक 1 नवम्बर, 1966 से ही ऐसे निदेशों के अध्यधीन रहते हुए जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं, उन क्षेत्रों में कार्य और संचालन करता रहेगा जिनके संबंध में वह उस दिन से ठीक पहले कार्य और संचालन कर रहा था, जब तक कि उक्त विश्वविद्यालय के संबंध में विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं कर दिया जाता है;

जबिक उक्त अधिनियम 72 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, किसी भी ऐसे निदेश में यह प्रावधान शामिल हो सकता है कि जिस किसी विधि द्वारा उक्त विश्वविद्यालय संचालित है, वह विधि, उस विश्वविद्यालय पर लागू होने की सीमा तक, उस निदेश में निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अध्यधीन प्रभावी होगा;

7359 GI/2025 (1)

अब, अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (2) और (3) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (पूर्वी पंजाब अधिनियम 1947 का 7), निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए अर्थातु:-

संशोधन

- 1. पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (पूर्वी पंजाब अधिनियम 1947 का 7) में,
- (क) धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत: :-
- 13. सामान्य सदस्य- (1) सामान्य सदस्यों की संख्या चौबीस से अधिक नहीं होगी और ऐसी संख्या में-
 - (क) दो सदस्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र होंगे जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (ख) दो सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के प्रोफेसरों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे, बशर्ते कि कला
 विभाग से एक सदस्य और विज्ञान विभाग से एक सदस्य चुना जाएगा;
 - (ग) दो सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के सह प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे, बशर्ते कि कला विभाग से एक सदस्य और विज्ञान विभाग से एक सदस्य चुना जाएगा;
 - (घ) चार सदस्य संबद्ध और संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे;
 - (ङ) छह सदस्य संबद्ध और संघटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे;
 - (च) दो सदस्य पंजाब विधान सभा द्वारा, उसके अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा नामित किए गए सदस्यों में से, अपने में से ही चुने जाएंगे:
 - बशर्ते कि चयनित सदस्य किसी विश्वविद्यालय का डिग्री धारक हो:
 - (छ) शेष सदस्य कुलाधिपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किए जाएंगे जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान के धनी हों, या जिन्हें शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, या जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान की हों।
 - (2) किसी भी सामान्य सदस्य का चुनाव कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।
 - (3) सामान्य सदस्य, इसके बाद के प्रावधान को छोड़कर, चार वर्ष तक पद धारण करेगा।
 - (4) एक सामान्य सदस्य जिसने अपना पद त्याग दिया है, वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, पुनः सामान्य सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
 - (5) उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के सदस्य के रूप में निर्वाचित कोई भी व्यक्ति अपेक्षित योग्यता न रखने के पर अपना पद धारण नहीं कर सकेगा।
 - (6) किसी चुनाव में, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अर्थ में किसी महाविद्यालय का प्राचार्य, प्रोफेसर, सह- प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर या प्रमुख है या नहीं, तो प्रश्न का निर्धारण कुलपित द्वारा किया जाएगा;

- (ख) धारा 14 का लोप किया जाएगा;
- (ग) धारा 19 और 20 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-
- **"19. संकाय-** सीनेट ऐसे विषयों में संकायों का गठन कर सकेगी, जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए विनियमों के अंतर्गत उचित समझे।
- **"20. सिंडिकेट** (1) विश्वविद्यालय का कार्यकारी अभिशासन सिंडिकेट में निहित होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे
 - (क) कुलपति को अध्यक्ष के रूप में, *पदेन*;
 - (ख) सचिव, उच्चतर शिक्षा, भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि, *पदेन*,
 - (ग) निदेशक, लोक अनुदेश महाविद्यालय, पंजाब *पदेन*;
 - (घ) निदेशक, लोक अनुदेश महाविद्यालय, चंडीगढ़ पदेन;
 - (ङ) सीनेट का एक सदस्य, जिसे कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (च) कुलपति द्वारा निम्नलिखित में से वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा दस सदस्यों को नामित किया जाएगा:-
 - (i) संकायों के डीन से दो;
 - (ii) विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से दो;
 - (iii) विश्वविद्यालय सह प्रोफेसरों से एक;
 - (iv) विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसरों से एक;
 - (v) महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से दो;
 - (vi) कॉलेज के प्रोफेसरों से एक;
 - (vii) प्रोफेसरों के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों से एक।
 - (2) सिंडिकेट अपने किसी कार्यकारी कार्य को कुलपित को या सिंडिकेट के सदस्यों में से नियुक्त उप-समिति को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जिसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो सिंडिकेट के सदस्य नहीं हैं, या किसी अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।"
- (घ) धारा 31 की उप-धारा (2) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-
 - (ख) धारा 19 के अंतर्गत सीनेट द्वारा संकायों के गठन का तरीका;
 - (खक) धारा 20 की उप-धारा 2 के अंतर्गत सिंडिकेट द्वारा कुलपति, उप-सिमिति, सिमिति या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपे जाने वाले कार्यकारी कार्य:"
 - (ङ) धारा 37 का लोप किया जाएगा;
 - (च) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः :-

"अनुसूची [धारा 12 देखें]

पदेन सदस्यों की सूची:-

- 1. मुख्यमंत्री, पंजाब;
- 2. मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय;
- 3. शिक्षा मंत्री, पंजाब:
- 4. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार;
- 5. सचिव, उच्चतर शिक्षा, पंजाब;
- 6. शिक्षा सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन;
- 7. संसद सदस्य, चंडीगढ़।"
- 2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले पद धारण करने वाले सामान्य सदस्यों, संकायों और कार्यकारी अभिशासन की पदावधि को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

[फा. सं. 2-6/2021-यू.॥]

रीना सोनोवाल कौलि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION (Department of Higher Education) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

S.O. 5023(E).— WHEREAS under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (3) thereof, the Punjab University constituted under the Punjab University Act, 1947(East Punjab Act 7 of 1947), shall on and from the 1st day of November, 1966, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may, from time to time, be issued by the Central Government, until other provision is made by law in respect of the said University;

WHEREAS under sub-section (2) of section 72 of the said Act, any such direction may include a direction that any law by which the said University is governed shall, in its application to that University, have effect, subject to such exceptions and modification as may be specified in the direction;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-sections (2) and (3), of section 72 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act 7 of 1947), shall have effect from the date, as appointed by the Central Government, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

- 1. In the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act 7 of 1947),
- (a) for section 13, the following section shall be substituted, namely:-
- 13. Ordinary Fellows.- (1) The number of Ordinary Fellows shall not exceed twenty four and of such number-
 - (a) two shall be eminent University Alumni to be nominated by the Chancellor;
 - (b) two shall be elected by Professors on the staff of the Teaching Departments of the University from amongst themselves provided that one member each from the Arts and Science Departments shall be elected;
 - (c) two shall be elected by Associate Professors and Assistant Professors on the staff of the Teaching Departments of the University from amongst themselves provided that one member each from the Arts and Science Departments shall be elected;
 - (d) four shall be elected by Principals of Affiliated and Constituent Colleges from amongst themselves;
 - (e) six shall be elected by Teachers of Affiliated and Constituent Colleges from amongst themselves;
 - (f) two shall be elected by Punjab Legislative Assembly nominated by the Speaker of Punjab Legislative Assembly from amongst themselves:
 - Provided that the member elected is a holder of a Degree of any University;
 - (g) the remainder shall be nominated by the Chancellor from amongst the persons of eminence and standing in public life or have special knowledge or practical experience in education, research and innovation or have rendered eminent services for the cause of education.
 - (2) The election of any Ordinary Fellow shall be subject to the approval of the Chancellor.
 - (3) The Ordinary Fellow shall, save as hereinafter provided, hold office for four years.
 - (4) An Ordinary Fellow who has vacated his office may, subject to the provisions of this Act be again nominated as an Ordinary Fellow.
 - (5) No person elected in his capacity as a member of any of the categories enumerated in sub-section (1) shall continue to hold his office after he has ceased to possess the requisite qualification.
 - (6) In an election, if any dispute arises whether any person is or is not a Principal, Professor, Associate Professors and Assistant Professors, or Head of a college within the meaning of clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1), the question shall be determined by the Vice- Chancellor;
- (b) section 14 shall be omitted;
- (c) for sections 19 and 20, the following sections shall be substituted, namely:-
- **"19. Faculties.** The Senate may constitute Faculties in such subjects as it thinks fit under regulations made in accordance with the provisions of this Act.
- **"20. Syndicate**.- (1) The Executive Government of the University shall be vested in the Syndicate which shall consist of -
 - (a) the Vice-Chancellor as Chairperson, ex officio;
 - (b) Secretary, Higher Education Government of India or his representative, ex officio;
 - (c) the director of Public Instructions Colleges, Punjab- ex officio;
 - (d) the director of Public Instructions Colleges, Chandigarh, ex officio;
 - (e) one member of Senate to be nominated by Chancellor;
 - (f) ten members shall be nominated by the Vice-Chancellor on seniority basis by rotation from the following:-
 - (i) two from the Deans of Faculties;
 - (ii) two from University Professors;
 - (iii) one from University Associate Professors;
 - (iv) one from University Assistant Professors;

- (v) two from Principals of colleges;
- (vi) one from Professors of colleges;
- (vii) one from teachers other than Professors.
- (2) The Syndicate may delegate any of its executive functions to the Vice Chancellor or to the Sub-committee appointed from amongst the members of the Syndicate or to a Committee appointed by it which may include persons who are not members of the Syndicate or to any other authority as may be prescribed by regulations.";
- (d) in section 31, in sub-section (2), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-
 - (b) the manner of constituting the faculties by the Senate under section 19;
 - (ba) the executive functions to be delegated by the syndicate to the Vice Chancellor, the Sub-Committee, Committee or any other authority under sub-section 2 of section 20;";
 - (e) section 37 shall be omitted;
 - (f) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THE SCHEDULE

[See section 12]

List of Ex officio Fellows:-

- 1. Chief Minister, Punjab;
- 2. Chief Justice, High Court of Punjab and Haryana;
- 3. Education Minister, Punjab;
- 4. Advisor to the Administrator, Union territory of Chandigarh;
- 5. Secretary, Higher Education, Punjab;
- 6. Education Secretary, Chandigarh Administration;
- 7. Member Parliament, Chandigarh."
- 2. That nothing contained in this notification shall be deemed to effect the term of the office of the Ordinary Fellows, Faculties and Executive Government, holding office as such immediately before the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. 2-6/2021-U.II]

RINA SONOWAL KOULI, Jt. Secy.